प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांकः एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/NIDDCP/Main File/2018–19/02A/6600-75 दिनांकः 17/09/2018

विषय : नेशनल आयोडीन डिफेसियेन्सी डिसआर्डर कन्ट्रोल प्रोग्राम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनपदवार आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आर0ओ0पी0 2018–19 में भारत सरकार द्वारा नेशनल आयोडीन डिफेसियेन्सी डिसआर्डर कन्ट्रोल प्रोग्राम के अन्तर्गत कुल रू0 **10013000.00** की धनराशि अनुमोदित की गई है तद्क्रम में जनपदवार व मंदवार कुल रू0 **2445000** की धनराशि निम्नवत् प्रस्तर व तालिका के अनुसार सम्बन्धित जनपदों को स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

National Iodine Deficiency Disorder Control Programme

District Budget Allocation Faat RoP 2018-19

क्र0सं0	जनपद का नाम	Printing of Reporting formats under NIDDCP	Health Education & Publicity for NIDDCP	Total Budget Allocation to District
	एफ0एम0आर0 कोड	12.17.2	11.14.1	
1	Agra	68000	10000	78000
2	Aligarh	76000	10000	86000
3	Allahabad	0	10000	10000
4	Ambedkar Nagar	0	10000	10000
5	Amethi	0	10000	10000
6	Amroha (JP Nagar)	0	10000	10000
7	Auraiya	0	10000	10000
8	Azamgarh	106000	10000	116000
9	Baghpat	0	10000	10000
10	Bahraich	84000	10000	94000
11	Ballia	0	10000	10000
12	Balrampur	0	10000	10000
13	Banda	0	10000	10000
14	Barabanki	0	10000	10000
15	Bareilly	81000	10000	91000
16	Basti	63000	10000	73000
17	Bijnor	77000	10000	87000
18	Budaun	0	10000	10000
19	Bulandshahar	62000	10000	72000
20	Chandauli	0	10000	10000
21	Chitrakoot	0	10000	10000
22	Deoria	78000	10000	88000

23	Etah	0	10000	10000
24	Etawah	0	10000	10000
25	Faizabad	60000	10000	70000
26	Farukkhabad	0	10000	10000
27	Fatehpur	0	10000	10000
28	Firozabad	0	10000	10000
29	Gautam Buddha Nagar	0	10000	10000
30	Ghaziabad	24000	10000	34000
31	Ghazipur	0	10000	10000
32	Gonda	85000	10000	95000
33	Gorakhpur	98000	10000	108000
34	Hamirpur	0	10000	10000
35	Hapur	0	10000	10000
36	Hardoi	0	10000	10000
37	Hathras	0	10000	10000
38	Jalaun	0	10000	10000
39	Jaunpur	110000	10000	120000
40	Jhansi	0	10000	10000
41	Kannauj	0	10000	10000
42	Kanpur Dehat	0	10000	10000
43	Kanpur Nagar	0	10000	10000
44	Kasganj	0	10000	10000
45	Kaushambi	0	10000	10000
46	Kushi Nagar (Padrauna)	0	10000	10000
47	Lakhimpur Kheri	95000	10000	105000
48	Lalitpur	0	10000	10000
49	Lucknow	0	10000	10000
50	Maharajganj	0	10000	10000
51	Mahoba	0	10000	10000
52	Mainpuri	0	10000	10000
53	Mathura	41000	10000	51000
54	Mau	0	10000	10000
55	Meerut	0	10000	10000
56	Mirzapur	0	10000	10000
57	Moradabad	0	10000	10000
58	Muzaffar Nagar	55000	10000	65000
59	Pilibhit	42000	10000	52000
60	Pratapgarh	0	10000	10000
61	Raebareli	70000	10000	80000
62	Rampur	47000	10000	57000
63	Saharanpur	77000	10000	87000
64	Sambhal	0	10000	10000
65	Sant Kabir Nagar	0	10000	10000
66	Sant Ravidas Nagar	0	10000	10000
67	Shahjahanpur	71000	10000	81000
68	Shamali	0	10000	10000
69	Shravasti	0	10000	10000

70	Siddharth Nagar	0	10000	10000
71	Sitapur	0	10000	10000
72	Sonbhadra	0	10000	10000
73	Sultanpur	67000	10000	77000
74	Unnao	0	10000	10000
75	Varanasi	58000	10000	68000
Total		**1695000**	**750000**	**2445000**

3. जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु उक्त धनराशि का व्यय जनपद की उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 की DAP के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

4. <u>आशा को अपने कार्य क्षेत्र में नमक की जॉच हेतु दिशा निर्देश :–</u>

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में आशा की अहम भूमिका है।

- प्रत्येक आशा को प्रतिमाह एक साल्ट टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके द्वारा 50 घरों के नमक के नमूँनों की जॉच की जायेगी, जिसमें आयोडीनयुक्त नमक के उपयोग हेतु जागरूकता एवं आयोडीनयुक्त नमक की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा सके, उक्त जाँचे सामुदायिक /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर, आँगनबाडी केन्द्र, स्कूल तथा घरों में उपयोग किये जाने वाले नमक में की जायेगी।
- उपकेन्द्रो/प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो की सम्बन्धित आशा संगिनी/ ए0एन0एम0 के द्वारा प्रतिमाह आशा द्वारा किये गये नमक की जाँच के नमूनों का सत्यापन करने के पश्चात ही आशाओं को भुगतान किया जायेगा।
- आशाओं द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप पर नमक के नमूनों की जॉच की मासिक रिपोर्ट उपकेन्द्र की आशा संगिनी/ए0एन0एम0 के माध्यम से प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिले के नोडल अधिकारी (आई0डी0डी0) को प्रेषित की जायेगी, जो संकलित रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करेगें।

5. <u>आशाओं द्वारा नमक में आयोडीन की मात्रा की जाँच की विधि हेतु दिशा निर्देश :–</u>

नमक में आयोडीन की मात्रा की जाँच "साल्ट टेस्टिंग किट" से होती है। इस किट का उपयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् है :–

- सर्वप्रथम एक से दो चम्मच नमक लेना है, जिसमें 1–2 बूँद बडी सफेद रंग की शीशी से टेस्ट घोल को मिलाना है।
- इसके उपरान्त नमक में उपलब्ध आयोडीन की मात्रा के अनुसार, नमक का रंग हल्का नीला से गहरा स्याही में परिवर्तित हो जायेगा।
- किट बाक्स पर उपलब्ध चार्ट के अनुसार नमक के रंग की तुलना करते हुए उसमें उपलब्ध आयोडीन की मात्रा राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ द्वारा प्राप्त कराये गये रिपोर्टिंग प्रारूप पर लिखें।
- न्यूनतम् स्वीकार योग्य आयोडीन की मात्रा उत्पादक स्तर पर 30 पी0पी0एम0 एवं उपभोक्ता स्तर पर 15 पी0पी0एम0 होनी चाहिए।

नमक अगर क्षारीय है या उसमें कोई क्षारीय केमिकल का मिश्रण है तो टेस्ट घोल मिलाने के उपरान्त भी नमक के रंग में कोई भी परिवर्तन नही होगा, जबकि उस नमक में आयोडीन मिला हो सकता है। इस स्थिति में निम्न प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :–

- 1–2 चम्मच नमक लें, उसमें 1 बूँद अम्लीय द्रव (पुनःजाँच) घोल छोटी शीशी से मिलायें।
- 1–2 बूँद टेस्ट घोल (सफेद बडी शीशी) मिलायें।
- किट बाक्स पर उपलब्ध चार्ट से नमक के रंग में आये बदलाव की तुलना करें।

6–<u>रिकार्डिंग रिर्पोटिंग(एफ0एम0आर0 कोड 12.17.2) :–</u>

यदि आशा द्वारा दिये गये नमक के नमूनों की जाँच के बाद उसके अंकन के लिये आशा डायरी में व्यवस्था नहीं है तो उसका अंकन राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर किया जायेगा। आशा द्वारा उक्त प्रारूप वाउचर आशा संगिनी /ए0एन0एम0 को उपलब्ध करा दिया जायेगा। आशा

संगिनी/ए0एन0एम0 द्वारा आशा के प्रपत्र के आधार पर संकलित रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक को माह की 25 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक द्वारा ब्लाक स्तर की सूचना माह की 30 तारीख तक नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करा दिया जायेगा एवं नोडल अधिकारी द्वारा जनपद की संकलित रिपोर्ट प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ को उपलब्ध करा दी जाये। इस वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 में एफ0एम0आर0 कोड 12.17.2 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जनपद स्तर पर जनपद के नमूनों की जाँच रिर्पोटिंग के प्रारूप के मुद्रण कराये जाने हेतु धनराशि अनुमोदित कर दी गयी है जिससे रिर्पोटिंग प्रारूप मुद्रण कराया जाना है।

7–**अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :–**

- क्लस्टर बैठक में आशाओं को साल्ट टेस्टिंग किट से नमक के नमूनों की जाँच हेतु समस्त जानकारी दी जायेगी एवं जिन आशाओं द्वारा अच्छा कार्य किया जायेगा उनको प्रोत्साहित किया जायेगा।
- भ्रमण के दौरान ब्लाक, जनपद एवं राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा ए0एन0एम0 से आशाओं की नमक के नमूने की रिपोर्ट प्राप्त करके उनके द्वारा किये गये कार्य का समय–समय पर सत्यापन किया जायेगा।

8–प्रचार–प्रसार मद में अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश एफ0एम0आर0 कोड 11.14.1 (समस्त 75 जनपदों के लिये):–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) अन्तर्गत एफ0एम0आर0 कोड 11.14.1 में प्रचार–प्रसार मद में अनुमोदित धनराशि से शीघ्र ही प्रति जनपद रू0 10000.00 की दर से धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि का उपयोग ग्लोबल आई0डी0डी0 दिवस (21st october) पर अधिक से अधिक विभागों के अधिकारियों व मीडिया प्रभारियों, एन0जी0ओ0 इत्यादि की भागीदारी सुनिश्चित करते हुये प्रेस कान्फ्रेंस आयोजन में करेगें जिससे जनपद के मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से जन जागरूकता बढाई जा सके। इसके अतिरिक्त अन्य प्रचार–प्रसार सम्बन्धी कार्य भी इसी धनराशि से कराया जा सकते हैं।

9. प्रति माह जॉच हेतु नमक के नमूॅने एकत्र कर कार्यालय अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0 को भेजने हेतु दिशा–निर्देश

- सीलबन्द प्लास्टिक के लिफाफे में नमक (पाउडर/बडगरा) के नमूॅनों को ग्रामीण एवं शहरी घरों एवं फुटकर विक्रेताओं से प्रतिमाह 50 नमूॅनों एकत्रित कर संस्थान में जॉच हेतु प्रेषित किये जायें तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जनपद के अधिकाश भाग से नमूॅने सम्मिलित हों।
- प्रत्येक नमक नमूॅने की मात्रा 100 ग्राम होनी चाहिए।
- एकत्र किये गये नमूॅनों में से 25 ग्रामीण क्षेत्र से,15 शहरी क्षेत्र के घरों से, 07 ग्रामीण फुटकर विक्रेता से एवं 03 शहरी फुटकर विक्रेता से होने चाहिए।
- नमक नमूॅनों के लिफाफे को सीलन एवं धूप से दूर रखना आवश्यक है अन्यथा नमक में आयोडीन की मात्रा कम हो जायेगी।
- विवरण प्रपत्र से मिलान करते हुए ही नमक के नमूॅनों के लिफाफे पर नमक का ब्रान्ड एवं क्रम संख्या डालें।
- एकत्र किये गये नमक के नमूॅनों का विवरण,दिये गये प्रपत्र पर बिन्दुवार विस्तृत रूप से अंकित किया जाये।

नमक का नमूॅना एकत्र करने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पत्र वाहक अथवा कोरियर से संस्थान में प्राप्त कराना सुनिश्चित करे – अपर निदेशक,राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0, सेक्टर –सी,अलीगंज, लखनऊ–226024

10. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
11. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

13. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

14. कार्यक्रम के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र सं0 1207–13 दिनांक 05/05/2016 द्वारा जनपदों को निर्गत किया जा चुका है। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

15. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/NIDDCP/Main File/2018–19/02A/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य कार्यकम अधिकारी, राष्ट्रीय आई0डी0डी0 कार्यकम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय प्रगति की समीक्षा लक्ष्य के सापेक्ष करते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को ई–मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जनपदीय नोडल, आई0डी0डी0 उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कार्यक्रम में लक्ष्य के सापेक्ष प्रति माह भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अर्जित करते हुये प्रति माह राज्य मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उप–महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांकः एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NIDDCP / Main File / 2018–19 / 02A / दिनांकः 17/09/2018

विषय : नेशनल आयोडीन डिफेसियेन्सी डिसआर्डर कन्ट्रोल प्रोग्राम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनपदवार आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आर0ओ0पी0 2018–19 में भारत सरकार द्वारा नेशनल आयोडीन डिफेसियेन्सी डिसआर्डर कन्ट्रोल प्रोग्राम के अन्तर्गत कुल रू0 **10013000.00** की धनराशि अनुमोदित की गई है तद्क्रम में जनपदवार व मंदवार कुल रू0 **2445000** की धनराशि निम्नवत् प्रस्तर व तालिका के अनुसार सम्बन्धित जनपदों को स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

National Iodine Deficiency Disorder Control Programme

District Budget Allocation Faat RoP 2018-19

क्र0सं0	जनपद का नाम	Printing of Reporting formats under NIDDCP	Health Education & Publicity for NIDDCP	Total Budget Allocation to District
	एफ0एम0आर0 कोड	12.17.2	11.14.1	
1	Agra	68000	10000	78000
2	Aligarh	76000	10000	86000
3	Allahabad	0	10000	10000
4	Ambedkar Nagar	0	10000	10000
5	Amethi	0	10000	10000
6	Amroha (JP Nagar)	0	10000	10000
7	Auraiya	0	10000	10000
8	Azamgarh	106000	10000	116000
9	Baghpat	0	10000	10000
10	Bahraich	84000	10000	94000
11	Ballia	0	10000	10000
12	Balrampur	0	10000	10000
13	Banda	0	10000	10000
14	Barabanki	0	10000	10000
15	Bareilly	81000	10000	91000
16	Basti	63000	10000	73000
17	Bijnor	77000	10000	87000
18	Budaun	0	10000	10000
19	Bulandshahar	62000	10000	72000
20	Chandauli	0	10000	10000
21	Chitrakoot	0	10000	10000
22	Deoria	78000	10000	88000

23	Etah	0	10000	10000
24	Etawah	0	10000	10000
25	Faizabad	60000	10000	70000
26	Farukkhabad	0	10000	10000
27	Fatehpur	0	10000	10000
28	Firozabad	0	10000	10000
29	Gautam Buddha Nagar	0	10000	10000
30	Ghaziabad	24000	10000	34000
31	Ghazipur	0	10000	10000
32	Gonda	85000	10000	95000
33	Gorakhpur	98000	10000	108000
34	Hamirpur	0	10000	10000
35	Hapur	0	10000	10000
36	Hardoi	0	10000	10000
37	Hathras	0	10000	10000
38	Jalaun	0	10000	10000
39	Jaunpur	110000	10000	120000
40	Jhansi	0	10000	10000
41	Kannauj	0	10000	10000
42	Kanpur Dehat	0	10000	10000
43	Kanpur Nagar	0	10000	10000
44	Kasganj	0	10000	10000
45	Kaushambi	0	10000	10000
46	Kushi Nagar (Padrauna)	0	10000	10000
47	Lakhimpur Kheri	95000	10000	105000
48	Lalitpur	0	10000	10000
49	Lucknow	0	10000	10000
50	Maharajganj	0	10000	10000
51	Mahoba	0	10000	10000
52	Mainpuri	0	10000	10000
53	Mathura	41000	10000	51000
54	Mau	0	10000	10000
55	Meerut	0	10000	10000
56	Mirzapur	0	10000	10000
57	Moradabad	0	10000	10000
58	Muzaffar Nagar	55000	10000	65000
59	Pilibhit	42000	10000	52000
60	Pratapgarh	0	10000	10000
61	Raebareli	70000	10000	80000
62	Rampur	47000	10000	57000
63	Saharanpur	77000	10000	87000
64	Sambhal	0	10000	10000
65	Sant Kabir Nagar	0	10000	10000
66	Sant Ravidas Nagar	0	10000	10000
67	Shahjahanpur	71000	10000	81000
68	Shamali	0	10000	10000
69	Shravasti	0	10000	10000

70	Siddharth Nagar	0	10000	10000
71	Sitapur	0	10000	10000
72	Sonbhadra	0	10000	10000
73	Sultanpur	67000	10000	77000
74	Unnao	0	10000	10000
75	Varanasi	58000	10000	68000
Total		**1695000**	**750000**	**2445000**

3. जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु उक्त धनराशि का व्यय जनपद की उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 की DAP के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

4. **आशा को अपने कार्य क्षेत्र में नमक की जॉच हेतु दिशा निर्देश :–**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में आशा की अहम भूमिका है।

- प्रत्येक आशा को प्रतिमाह एक साल्ट टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके द्वारा 50 घरों के नमक के नमूँनों की जॉच की जायेगी, जिसमें आयोडीनयुक्त नमक के उपयोग हेतु जागरूकता एवं आयोडीनयुक्त नमक की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा सके, उक्त जाँचे सामुदायिक /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर, आँगनबाडी केन्द्र, स्कूल तथा घरों में उपयोग किये जाने वाले नमक में की जायेगी।
- उपकेन्द्रो/प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो की सम्बन्धित आशा संगिनी/ ए0एन0एम0 के द्वारा प्रतिमाह आशा द्वारा किये गये नमक की जाँच के नमूनों का सत्यापन करने के पश्चात ही आशाओं को भुगतान किया जायेगा।
- आशाओं द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप पर नमक के नमूनों की जॉच की मासिक रिपोर्ट उपकेन्द्र की आशा संगिनी/ए0एन0एम0 के माध्यम से प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिले के नोडल अधिकारी (आई0डी0डी0) को प्रेषित की जायेगी, जो संकलित रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करेगें।

5. **आशाओं द्वारा नमक में आयोडीन की मात्रा की जाँच की विधि हेतु दिशा निर्देश :–**

नमक में आयोडीन की मात्रा की जॉच "साल्ट टेस्टिंग किट" से होती है। इस किट का उपयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् है :–

- सर्वप्रथम एक से दो चम्मच नमक लेना है, जिसमें 1–2 बूँद बडी सफेद रंग की शीशी से टेस्ट घोल को मिलाना है।
- इसके उपरान्त नमक में उपलब्ध आयोडीन की मात्रा के अनुसार, नमक का रंग हल्का नीला से गहरा स्याही में परिवर्तित हो जायेगा।
- किट बाक्स पर उपलब्ध चार्ट के अनुसार नमक के रंग की तुलना करते हुए उसमें उपलब्ध आयोडीन की मात्रा राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ द्वारा प्राप्त कराये गये रिपोर्टिंग प्रारूप पर लिखें।
- न्यूनतम् स्वीकार योग्य आयोडीन की मात्रा उत्पादक स्तर पर 30 पी0पी0एम0 एवं उपभोक्ता स्तर पर 15 पी0पी0एम0 होनी चाहिए।

नमक अगर क्षारीय है या उसमें कोई क्षारीय केमिकल का मिश्रण है तो टेस्ट घोल मिलाने के उपरान्त भी नमक के रंग में कोई भी परिवर्तन नही होगा, जबकि उस नमक में आयोडीन मिला हो सकता है। इस स्थिति में निम्न प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :–

- 1–2 चम्मच नमक लें, उसमें 1 बूँद अम्लीय द्रव (पुनःजाँच) घोल छोटी शीशी से मिलायें।
- 1–2 बूँद टेस्ट घोल (सफेद बडी शीशी) मिलायें।
- किट बाक्स पर उपलब्ध चार्ट से नमक के रंग में आये बदलाव की तुलना करें।

6–**रिकार्डिग रिर्पोटिंग(एफ0एम0आर0 कोड 12.17.2) :–**

यदि आशा द्वारा दिये गये नमक के नमूनों की जाँच के बाद उसके अंकन के लिये आशा डायरी में व्यवस्था नहीं है तो उसका अंकन राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर किया जायेगा। आशा द्वारा उक्त प्रारूप वाउचर आशा संगिनी /ए0एन0एम0 को उपलब्ध करा दिया जायेगा। आशा

संगिनी/ए0एन0एम0 द्वारा आशा के प्रपत्र के आधार पर संकलित रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक को माह की 25 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक द्वारा ब्लाक स्तर की सूचना माह की 30 तारीख तक नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करा दिया जायेगा एवं नोडल अधिकारी द्वारा जनपद की संकलित रिपोर्ट प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ को उपलब्ध करा दी जाये। इस वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 में एफ0एम0आर0 कोड 12.17.2 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जनपद स्तर पर जनपद के नमूनों की जाँच रिर्पोटिंग के प्रारूप के मुद्रण कराये जाने हेतु धनराशि अनुमोदित कर दी गयी है जिससे रिर्पोटिंग प्रारूप मुद्रण कराया जाना है।

7–<u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :–</u>

- क्लस्टर बैठक में आशाओं को साल्ट टेस्टिंग किट से नमक के नमूनों की जाँच हेतु समस्त जानकारी दी जायेगी एवं जिन आशाओं द्वारा अच्छा कार्य किया जायेगा उनको प्रोत्साहित किया जायेगा।
- भ्रमण के दौरान ब्लाक, जनपद एवं राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा ए0एन0एम0 से आशाओं की नमक के नमूने की रिपोर्ट प्राप्त करके उनके द्वारा किये गये कार्य का समय–समय पर सत्यापन किया जायेगा।

8–**प्रचार–प्रसार मद में अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश एफ0एम0आर0 कोड 11.14.1 (समस्त 75 जनपदों के लिये):–**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) अन्तर्गत एफ0एम0आर0 कोड 11.14.1 में प्रचार–प्रसार मद में अनुमोदित धनराशि से शीघ्र ही प्रति जनपद रू0 10000.00 की दर से धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि का उपयोग ग्लोबल आई0डी0डी0 दिवस (21st october) पर अधिक से अधिक विभागों के अधिकारियों व मीडिया प्रभारियों, एन0जी0ओ0 इत्यादि की भागीदारी सुनिश्चित करते हुये प्रेस कान्फ्रेंस आयोजन में करेगें जिससे जनपद के मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से जन जागरूकता बढाई जा सके। इसके अतिरिक्त अन्य प्रचार–प्रसार सम्बन्धी कार्य भी इसी धनराशि से कराया जा सकते हैं।

9. **प्रति माह जॉच हेतु नमक के नमूँने एकत्र कर कार्यालय अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0 को भेजने हेतु दिशा–निर्देश**

- सीलबन्द प्लास्टिक के लिफाफे में नमक (पाउडर/बडगरा) के नमूँनों को ग्रामीण एवं शहरी घरों एवं फुटकर विक्रेताओं से प्रतिमाह 50 नमूँनों एकत्रित कर संस्थान में जॉच हेतु प्रेषित किये जायें तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जनपद के अधिकाश भाग से नमूँने सम्मिलित हों।
- प्रत्येक नमक नमूँने की मात्रा 100 ग्राम होनी चाहिए।
- एकत्र किये गये नमूँनों में से 25 ग्रामीण क्षेत्र से,15 शहरी क्षेत्र के घरों से, 07 ग्रामीण फुटकर विक्रेता से एवं 03 शहरी फुटकर विक्रेता से होने चाहिए।
- नमक नमूँनों के लिफाफे को सीलन एवं धूप से दूर रखना आवश्यक है अन्यथा नमक में आयोडीन की मात्रा कम हो जायेगी।
- विवरण प्रपत्र से मिलान करते हुए ही नमक के नमूँनों के लिफाफे पर नमक का ब्रान्ड एवं क्रम संख्या डालें।
- एकत्र किये गये नमक के नमूँनों का विवरण,दिये गये प्रपत्र पर बिन्दुवार विस्तृत रूप से अंकित किया जाये।

नमक का नमूँना एकत्र करने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पत्र वाहक अथवा कोरियर से संस्थान में प्राप्त कराना सुनिश्चित करे – अपर निदेशक,राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0, सेक्टर –सी,अलीगंज, लखनऊ–226024

10. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
11. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

13. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

14. कार्यकम के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निदेशक राष्ट्रीय कार्यकम, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र सं0 1207–13 दिनांक 05/05/2016 द्वारा जनपदों को निर्गत किया जा चुका है। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

15. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/NIDDCP/Main File/2018–19/02A/ 6600-75(9) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय आई0डी0डी0 कार्यकम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय प्रगति की समीक्षा लक्ष्य के सापेक्ष करते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को ई–मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जनपदीय नोडल, आई0डी0डी0 उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कार्यक्रम में लक्ष्य के सापेक्ष प्रति माह भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अर्जित करते हुये प्रति माह राज्य मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उप–महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0